



LJ-1214

B.Com. (Part-III)
Term End Examination, 2021

Paper - II

Indirect Taxes

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 75

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note : Answer **all** questions. All questions carry equal marks.

इकाई / Unit-I

1. (a) उत्पाद शुल्क के प्रकारों को समझाइए।

Explain the various types of Excise Duty.

(b) उत्पाद शुल्क की विशेषताएँ बताइए।

Describe the characteristics of Excise Duty.

(2)

(c) संव्यवहार मूल्य में शामिल न होने वाली मदें बताइए।

State the items not included in the transaction value.

अथवा / OR

एक कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में 100 कारों का निर्माण एवं विक्रय किया। प्रत्येक कार का विक्रय मूल्य ₹ 2,00,000 है। उक्त कार पर उत्पादन शुल्क एवं वैट अलग से लिया जाता है। निम्नलिखित सूचना से भुगतान योग्य उत्पाद शुल्क की गणना कीजिए :

(i) कम्पनी ने ₹ 8,00,00,000 का कच्चा माल क्रय किया जिस पर ₹ 1,00,00,000 मूल उत्पाद शुल्क चुकाया गया था।

(ii) कम्पनी ने इस वित्तीय वर्ष में ₹ 10,00,00,000 का पूँजीगत माल क्रय किया जिसमें ₹ 1,20,00,000 मूल उत्पाद शुल्क शामिल था।

(iii) कारों पर 12.5% मूल उत्पाद शुल्क है।

(3)

A Company manufactured and sold 100 cars during the financial year 2018-19. The sales price of the car is ₹ 2,00,000 each and Excise Duty and VAT are charged separately. From the following information determine the Central Excise Duty payable :

- (i) The Company purchased inputs ₹ 8,00,00,000. It includes basic excise duty ₹ 1,00,00,000.
- (ii) The Company purchased Capital goods during the Financial Year ₹ 10,00,00,000. It includes basic excise duty ₹ 1,20,00,000.
- (iii) On cars the basic excise duty is charged @12.5%.

इकाई / Unit-II

2. नारायणपुर के भंडारगृह से दिसम्बर, 2019 में निम्नलिखित मादक पदार्थ निर्गमित किये गए :

- (i) देशी मदिरा सादी 500 प्रूफ ली०
- (ii) देशी मदिरा मसालेदार 1000 प्रूफ ली०

(4)

- (iii) अधिकृत मिलिट्री संगठन
को व्हिस्की 4800 प्रूफ ली०
- (iv) भांग घोटा की दुकान के लिए
अनुज्ञप्ति को भांग 800 कि०ग्रा०
- (v) लाइसेन्स धारी व्यापारी को
विदेशी मदिरा (₹ 1,800
प्रति प्रूफ ली०) 1200 प्रूफ ली०
- (vi) व्यापारी को भांग उपभोक्ता
के लिए 2000 कि०ग्रा०
- (vii) अधिकृत मिलिट्री कैप्टीन
को बीयर 2520 बल्क ली०
- (viii) बीयर बार को बीयर 6000 बल्क ली०
- (ix) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
कैप्टीन को बीयर 3820 बल्क ली०
- (x) ठेकेदारों को विदेशी शराब
(₹ 2,000 प्रति प्रूफ ली०) 600 प्रूफ ली०

छत्तीसगढ़ आबकारी शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत
आबकारी शुल्क की गणना कीजिए।

(5)

The following intoxicants were issued from Narayanpur warehouse in December, 2019 :

- | | | |
|--------|---|-----------------|
| (i) | Plain Country Liquor | 500 Proof ltr. |
| (ii) | Spiced Country Liquor | 1000 Proof ltr. |
| (iii) | Whiskey to Authorised Military Organisation | 4800 Proof ltr. |
| (iv) | Bhang to Licence holder for shop of Bhang Ghotas | 800 kg |
| (v) | Foreign Liquor to a license holder Trader (₹ 1,800 per proof litre) | 1200 Proof ltr. |
| (vi) | Bhang to a Trader for consumers | 2000 kg |
| (vii) | Beer to Authorised Military Canteen | 2520 Bulk ltr. |
| (viii) | Beer to Beer Bar | 6000 Bulk ltr. |
| (ix) | Beer to Indo-Tibetan Border Police Canteen | 3820 Bulk ltr. |
| (x) | Foreign Liquor to Contractors (₹ 2,000 per proof litre) | 600 Proof ltr. |

You are required to compute the amount of Excise Duty payable under Chhattisgarh Excise Act.

अथवा / OR

(6)

- (a) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए।

Explain the main objectives of Chhattisgarh Excise Act.

- (b) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मादक द्रव्य पदार्थों का विक्रय के सम्बन्ध में नियमों को स्पष्ट कीजिए।

Explain the provisions relating to sale of intoxicants under Chhattisgarh Excise Act.

इकाई / Unit-III

3. सीमा शुल्क से क्या आशय है? सीमा शुल्क की विशेषताएँ, महत्व एवं दोषों की व्याख्या कीजिए।

What do you mean by Customs Duty?
Explain the characteristics, importance and demerits of Customs Duty.

अथवा / OR

एक आयातित माल का शुल्क योग्य मूल्य ₹ 4,00,000 है। मूल सीमा शुल्क की दर 10% है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 (7) के अधीन देय इण्टीग्रेटेड टैक्स की दर 12% है।

(7)

निम्नलिखित सूचनाओं से देय आयात शुल्क की गणना कीजिए :

- (i) आयातित माल का C.I.F. मूल्य ₹ 5,00,000
- (ii) मूल सीमा शुल्क की दर 10%
- (iii) इंटीग्रेटेड कर की दर 12%

Assessable value of an imported product is ₹ 4,00,000. Basic Customs Duty is 10%. Integrated Tax u/s 3 (7) of Customs Tariff Act is 12%.

From the following information calculate the Customs Duty Payable :

- (i) CIF value of goods imported ₹ 5,00,000
- (ii) Rate of Basic Customs Duty 10%
- (iii) Integrated Tax rate is 12%

इकाई / Unit-IV

4. (a) केन्द्रीय विक्रय कर की विशेषताएँ स्पष्ट कीजिए।

Explain the characteristics of CST Act.

(8)

(b) केन्द्रीय विक्रय कर क्या है? केन्द्रीय विक्रय कर के प्रकार एवं उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए।

What is CST? Explain the types and objectives of CST.

अथवा / OR

पंजीकृत व्यापारी की 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विक्रय ₹ 29,50,000 है। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर अन्तर्राज्यीय विक्रय के अन्तर्गत कर-योग्य आवर्त का निर्धारण कीजिए :

- | | |
|---|-------------|
| (i) कर मुक्त वस्तुओं का राज्य में विक्रय | ₹ 13,00,000 |
| (ii) भारत से निर्यात | ₹ 5,00,000 |
| (iii) राज्य में विक्रय | ₹ 6,00,000 |
| (iv) अन्तर्राज्यीय विक्रय में से माल वापस आया (2% कर की दर) | ₹ 16,000 |
| (v) अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर की दर | |
| ₹ 3,30,000 पर | 10% |
| ₹ 2,04,000 पर | 2% |

(9)

Gross Sales of a Registered dealer is ₹ 29,50,000 for the year ending 31st March, 2019. From the following information determine the Taxable Turnover under the Inter-State Sales.

- (i) Sales of Tax free goods sold
in State ₹ 13,00,000
- (ii) Exports from India ₹ 5,00,000
- (iii) Sales in State ₹ 6,00,000
- (iv) Sales Returns in Inter-State
Sales (Tax rate 2%) ₹ 16,000
- (v) Tax Rates on Inter State Sales :
- | | |
|---------------|-----|
| on ₹ 3,30,000 | 10% |
| on ₹ 2,04,000 | 2% |

इकाई / Unit-V

5. (a) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर के गुण-दोषों को स्पष्ट कीजिए।

Explain the merits-demerits of Chhattisgarh Commercial Tax.

(10)

(b) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम के अन्तर्गत आयुक्त के अधिकार एवं कर्तव्यों को स्पष्ट कीजिए।

Explain the rights and duties of Commissioner under Chhattisgarh Commercial Tax Act.

अथवा / OR

एक व्यापारी मेसर्स आर० के० ब्रदर्स का कुल विक्रय निम्नलिखित है :

	₹
(i) मूंगफली-छत्तीसगढ़ राज्य में	2,00,000
(ii) कपास बीज अपंजीकृत व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं को	2,00,000
(iii) मेथी-किसानों से क्रय कर फार्म 'सी' पर विक्रय	1,00,000
(iv) फूलों के बीज	50,000
(v) ताजे फल	20,000
(vi) ताजे फूल	45,000
(vii) धनिया बीज किसानों को	10,000
(viii) लाल सूखी मिर्च (पंजीकृत मसाला उद्योग को)	1,25,000
(ix) लहसुन दवाई बनाने के लिए	50,000
(x) सरकारी स्टाम्प	30,000

उपर्युक्त सूचनाओं के आधार पर छत्तीसगढ़ कर अधिनियम के अन्तर्गत कर-योग्य आवर्त की गणना कीजिए।

(11)

A trader M/s R. K. Brothers has the following total sales :

	₹
(i) Groundnut in Chhattisgarh State	2,00,000
(ii) Cotton seeds to unregistered dealers and customers	2,00,000
(iii) Methi-Sale on Form 'C' (after purchase from farmers)	1,00,000
(iv) Flower seeds	50,000
(v) Fresh Fruits	20,000
(vi) Fresh Flowers	45,000
(vii) Dhaniya seeds to farmers	10,000
(viii) Red dry chilly (to registered masala udyog)	1,25,000
(ix) Garlic for medicine	50,000
(x) Government Stamps	30,000

On the basis of above information compute the taxable turnover under the C.G. Tax Act.